

# Before The National Green Tribunal

Principal Bench, New Delhi

Original Application No. 1096/2024

## Annexure

SL No.	Date	Particular	Page
1.	2-1-2025	Affidavit	1
2.	2-1-2025	Application in English	2 - 4
3.	2-1-2025	Application in Hindi	5 - 7
4.	5-11-2024	Copy of information sought on Jagannathpuri Colony under RTI Act.	8 - 8
5.	5-11-2024	Copy of information sought on Mangatpuram Colony under RTI.	9
6.	9-10-2024	Copy of the application given under the Right to Information.	10 - 12
7.	14-11-2024.	Copy of the application given under the Right to Information.	13
8.	3-12-2024.	Copy of the complaint letter sent to Abhishek Pandey, Vice President MDA.	14
9.	5-12-2024	Copy of the complaint letter sent to Abhishek Pandey, Vice President-MDA	15

Date : 02-01-2025



Applicant  
 chandra Shekhar Gupta  
 103, Gali No. 3,  
 Sai Puram, Delhi Road,  
 Meerut U.P. - 250003  
 P.S. Brhampuri  
 Mail Id: gupta9566@gmail.com  
 M.No. 7906792648

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
(as per the National Green Tribunal Act 2010)

O.A. No. 1096/2024

*[Faint, illegible text]*

In the matter of:  
Chandra Shekhar Gupta

.... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

.... Respondent

Affidavit

I Chander Shekhar Gupta S/o Late Shrikishan Gupta R/o 103, Gali No. 3, Sai Puram, Delhi Road, Meerut (U.P.) do hereby solemnly verify and declare as under :

That the content of the accompanying application are true and to the best of my knowledge and belief.

That the annexure are true copy of its original.

*[Signature]*  
Deponent

Verification:

Verified at Meerut on 09-11-2025 that the affidavit are true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed there from nor any part of its is false.

Dated: 09-11-2025

*[Signature]*  
Deponent

*[Faint stamp]*  
*[Signature]*  
09/11/25

# Before The National Green Tribunal

## Principal Bench, New Delhi

Original Application No.1096/2024

Chandra Shekhar Gupta

Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Others

Respondents

Respected Judge Sir,

Jagannathpuri Colony, behind Bahadur Motor, Transport Nagar Police Station- Transport Nagar Meerut's public park is of 3000 square meters. There is a road all around the public park. Map number is 96.

1. Ajay Sehgal alias Sonu Sehgal, son of Nandkishore Sehgal, resident of Lane No. 1, Saipuram, Delhi Road, Meerut, the shops built by breaking into the Public Park have been demolished.
2. The shops built inside 'Public Park' by Rainu Gupta wife of Shiv Kumar Gupta resident of - Gali No. 3, Sai Puram, Delhi Road, Meerut have been demolished.
3. Rahul Chabda (Sheetal Dave Wala) has built a building inside the 'Public Park'. I had applied under the Right to Information to give a certified copy of the map number - 96 approved by the Jagannathpuri Colony Meerut Development Authority. I have not been given a certified copy of map number-96 till date. I had also sent a registered letter to Abhishek Pandey - Vice President, Meerut Development Authority on 14-11-2024 and complained. The building built by Rahul Chabda (Sheetal Dave Wala) inside the Public Park has not been demolished by the Meerut Development Authority.

Mangatpuram Colony, behind Gopal Gaushala, Delhi Road Meerut, approved map no. 146 from Meerut Development Authority, Mangatpuram Colony, behind Gopal Gaushala, a public park in Block-D having an area of 75 x 110 sq. ft. There is a 24 Sq. ft. road around this public park. Approved map number-146 dated 2-5-1989 21 During the virtual hearing of the Tribunal on 30-9-2024, Abhishek Pandey-Vice Chairman- Meerut Development Authority informed that there is no Kabja on the public park of Mangatpuram Colony, Gopal Gaushala, Delhi Road Block-D.

Amit Bansal alias Bobi resident of M/s Babu Lal Dayanand Prakash Timber Merchant, Kawadi Bazar, Meerut city has done illegal construction on the public park of Block-D behind Mangatpuram Colony, Gopal Gaushala, whose area is 75 x 110 sq. ft. He has also done illegal construction on 24 sq. ft. road around the public park.

On 5-12-2024, I sent a registered letter to Abhishek Pandey, Vice President, Meerut Development Authority, to demolish the illegal construction made on the public park and the road around it, but till date the illegal construction made on the public park has not been demolished.

On 9-10-2024, I had given an application to Meerut Development Authority under the Right to Information Act to give me the approved map number-146 dated 2-5-1989 of Mangatpuram Colony, Delhi Road, Meerut. But the Public Information Officer, In-charge Map, Manoj Tiwari got the photocopy of the original copy of Map No.-146 reduced so much that nothing is visible in the photocopy. Manoj Tiwari - In-charge Map is in collusion with Amit Bansal alias Bobi, the person who has completely occupied the park. Luckily I also have a copy of Map No.-146 Meerut development

Conclusion

In response to the writ petition No. 20295/2023 filed in the Hon'ble Allahabad High Court by the officials of the Conclusion Authority, the information was hidden that Rahul Chabda has done illegal construction inside the 'public park', so the Hon'ble Allahabad High Court ordered to compound it in the order dated 16-6-2023. On 5-12-2024, Abhishek Pandey, Meerut Development Authority-Vice Chairman was informed by sending a registered letter that Amit Bansal alias Bobi resident - M/S Babulal Dayanand Prakash, Timber Merchant, Kawadi Bazar Meerut city has done illegal construction on the public park area of 75 x 110 square feet and 24 square feet wide road around the park in the vacant block-D of Mangatpuram Colony, Gopal Gaushala, but till date the illegal construction has not been demolished.

Prayer

1. Order demolition of illegal building by Rahul Chabda inside public park of Meerut Development Authority No. 96, Mangatpuri Colony, behind Bahadur Motor, Transport Nagar, Meerut.
2. Hon'ble Tribunal wrote in the order dated 30-9-2024 for demolition of illegal shops owned by Renu Gupta, wife of Shiv Kumar Gupta, inside Jagannathpuri Public Park.
3. Order demolition of illegal construction made by Amit Bansal alias Bobi on Public Park, Block-D, behind Gopal Gaushala, Mangatpuram Colony)



Applicant  
Date-2-1-2025  
Chandra Shekhar Gupta  
103, Street No.3  
Sai Puram, Delhi Road,  
Meerut-250002  
Police Station - Bhrampur  
M. No-7906792372

विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए  
 विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए  
 विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए  
 विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए  
 विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए

आदरणीय जन साहब,

- (1) जगन्नाथपुरी कालोनी, साईपुरम रोड के बीच, गैरठ विकास  
 वार्ड नं. 36 द्वारा 'पब्लिक पार्क' का आवंटन  
 किया है। पब्लिक पार्क के कार्य समाप्त हो चुके हैं, परन्तु  
 1. डॉ. जय शंकर लाल जी गोनु साहबल पुत्र बालक विद्यालय साईपुरम  
 विकास वार्ड नं. 36, साईपुरम दिल्ली रोड, गैरठ में पब्लिक पार्क  
 में आवंटन करने वनापी गयी कुमानों को लौट दिया गया है।
2. रैनु गुप्ता पतिन शिव कुमार गुप्ता विकास वार्ड नं. 36  
 साईपुरम, दिल्ली रोड, गैरठ द्वारा 'पब्लिक पार्क' का आवंटन  
 वनापी गयी कुमानों को लौट दिया गया है।
3. शंजुल छावडा (शीतल दावेवाला) के 'पब्लिक पार्क' को  
 अन्यर विलडींग वनापी है। गैरठ जगन्नाथपुरी कालोनी  
 गैरठ विकास प्राधिकरण से शीतल मातृशाला संख्या- 36 की  
 सर्टीफाइड मापी देने के लिए गुचना का आविचार के तहत  
 प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन गुजे आहततम, गैरठ विकास प्राधिकरण- 36  
 की सर्टीफाइड मापी नहीं दी गयी है। दिनांक 14-11-2021 को  
 आंगिकेक वाण्डे- उपाध्यक्ष, गैरठ विकास प्राधिकरण से श्री गौरीशंकर  
 पत्र भेजकर शिस्तपत्र ली थी। गैरठ विकास प्राधिकरण द्वारा  
 शंजुल छावडा (शीतल दावेवाला) द्वारा पब्लिक पार्क के आवंटन  
 वनापी गयी विलडींग को हस्त नहीं किया गया है।

मंगलपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला के पीछे,  
 मेरठ, मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र संख्या-146  
 मंगलपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला के पीछे, ब्लॉक-D  
 में एक 'पब्लिक पार्क' जिसका क्षेत्रफल- 75 x 110 वर्ग फीट है।  
 इस पब्लिक पार्क के चारों तरफ 24 वर्ग फीट की सड़क है।  
 स्वीकृत मानचित्र संख्या-146 दिनांक 2-5-1989 है।

दिनांक 30-9-2024 को ट्रिब्यूनल में वर्चुअल सुनवाई के दौरान  
 अभिवेक पाण्डे- उपाध्यक्ष- मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकारी  
 दी गयी कि मंगलपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला, दिल्ली रोड  
 ब्लॉक-D के पब्लिक पार्क पर कब्जा नहीं है।

मंगलपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला के पीछे, ब्लॉक-D  
 के पब्लिक पार्क जिसका क्षेत्रफल- 75 x 110 वर्ग फीट  
 पर अमित वन्सल उर्फ वीवी निवासी- M/S वावु लाल दयानन्द प्रकाश  
 टिम्बर मर्चेन्ट, कवाजी बाजार, मेरठ शहर ने अवैध निर्माण  
 करा दिया है। पब्लिक पार्क के चारों तरफ 24 वर्ग फीट सड़क  
 पर भी अवैध निर्माण कर लिया है।

मैंने दिनांक 5-12-2024 को अभिवेक पाण्डे, उपाध्यक्ष  
 मेरठ विकास प्राधिकरण को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर पब्लिक पार्क  
 व उसके चारों तरफ की सड़क पर बने अवैध निर्माण को  
 ध्वस्त करने के लिए लिखा था लेकिन आज तक पब्लिक पार्क पर  
 बने अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया है।

मैंने दिनांक 9-10-2024 को जन सूचना अधिकार के तहत मेरठ विकास प्राधिकरण  
 से मंगलपुरम कालोनी, दिल्ली रोड, मेरठ का स्वीकृत मानचित्र संख्या-146  
 दिनांक 2-5-1989 देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन गुप्तज्ञान  
 सूचना अधिकारी/ प्रभारी मानचित्र, मनोज तिवारी द्वारा मानचित्र संख्या-146  
 की मुल प्रति की फोटो कापी को इतना छोटा करा दिया कि फोटो कापी में कुछ  
 भी दिखायी न दें। मनोज तिवारी - प्रभारी मानचित्र पूरी तरह से पार्क  
 पर कब्जा किये व्यक्ति अमित वन्सल उर्फ वीवी से मिले हुए हैं।  
 खुशकिस्मती से मानचित्र संख्या-146 की कापी मेरे पास भी है।

निवेदन

प्राधिकरण के अधिकारीको द्वारा मां इलाहाबाद हाइकोर्ट के दापर  
 Writ Petition No. 20295/2023 के जवाब में यह  
 जानकारी दी जाती है कि शहूल छावड़ा ने 'पब्लिक पार्क' के अन्दर  
 अवैध निर्माण किया है इसलिये माननीय इलाहाबाद हाइकोर्ट ने  
 दिनांक 16-6-2023 को दिये आदेश में सम्पादन करने को कहा।  
 दिनांक 5-12-2024 को अभिलेख पाठ्य, मेरठ विकास प्राधिकरण-उपाध्यक्ष  
 को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर जानकारी दी गयी कि अमित वन्सल उर्फ वीवी  
 निवासी- M/s वावुलाल दधानन्द प्रकाश, टिम्बर मर्चेन्ट, कवाडी बाजार  
 मेरठ शहर द्वारा मंगतपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला के पीछे  
 ब्लॉक-D के पब्लिक पार्क - क्षेत्रफल 75 X 110 वर्ग फीट व पार्क  
 के चारों तरफ 24 वर्ग फीट चौड़ी सड़क पर अवैध निर्माण किया है  
 लेकिन आज तक अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया है।

प्रार्थना

1. जगन्नाथपुरी कालोनी बहादुर मोटर के पीछे, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ  
 मेरठ विकास प्राधिकरण <sup>मानचित्र</sup> संख्या-96 के पब्लिक पार्क के अन्दर  
 शहूल छावड़ा द्वारा अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश करें।
2. आदरणीय ट्रिव्युनल द्वारा दिनांक 30-9-2024 को जगन्नाथपुरी  
 पब्लिक पार्क के अन्दर रैनु गुप्ता पति शिव कुमार गुप्ता द्वारा  
 अवैध दुकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश भेजें।
3. अमित वन्सल उर्फ वीवी द्वारा मंगतपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला  
 के पीछे, ब्लॉक-D के पब्लिक पार्क पर बने अवैध निर्माण को  
 ध्वस्त करने का आदेश करें।

प्रार्थी

चन्द्र शेरवर गुप्ता

103, गली नं०-3

साईं पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ-305001

थाना - वृद्धमपुरी

M.No. 7906792648

दिनांक- 2-1-2025



मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

1567/नि0अनु0/23

दिनांक : 05/11-2024

श्री चन्द्र शेखर गुप्ता,  
 निवासी-103, गली नं0-03,  
 साईपुरम, दिल्ली रोड़, मेरठ।  
 मो0 नं0-7599653075

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक प्राधिकरण को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 09.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जगन्नाथपुरी एक्सटेंशन कॉलोनी के तलपट मानचित्र की फोटोप्रति चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा किसी कार्यदिवस/कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर सूचना अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कराकर अभिलेखों में उपलब्धतानुरूप आवेदित प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।



प्रभारी मानचित्र/जनसूचना अधिकारी  
 मेरठ विकास प्राधिकरण,  
 मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।  
 पत्रक : 633 / ता. अनु. जोन-ए - 2024 दिनांक : 05-11-2024


सेवा में,

श्री चन्द्र शंखर गुप्ता  
 103, गली नं०-03, साईपुरम, दिल्ली रोड,  
 मेरठ।  
 मो० नं० 7599653075

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्राधिकरण को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 09.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मंगतपुरम कालोनी के मानचित्र की प्रति चाही गयी है।  
 उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क जमा कर मंगतपुरम कालोनी के मानचित्र छायाप्रति प्राप्त की जा सकती है।

  
 जनसूचना अधिकारी/प्रभारी मानचित्र  
 मेरठ विकास प्राधिकरण,  
 मेरठ।

सुचना का अधिकार अधिनियम

कालोनी मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ - 203003

सुचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा-2 (एफ0 आर0 7.7.(8) 10(आर) 22 के अन्तर्गत सुचना प्राप्ति हेतु आवेदन

श्री मान जी मैने एक वाद सरणों - 1096/2024 नेशनल ग्रोन ट्रिपु नई दिल्ली के वापर की है इस वाद की सुनवाई 30 सितम्बर 2024 को हुई थी। अभियेक पाण्डे, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रिपुनल में बर्चुअल उपस्थित होकर बताया कि जगन्नाथपुरी कालोनी, वहादुर मोटर के पीछे, ट्रांसपोर्ट नगर का मानचित्र सरणों 96 है। ओर जगन्नाथपुरी कालोनी के पब्लिक पार्क पर काविल शहूल छावडा पर ध्वस्तीकरण की काप्रवाही होनी है बाकी के लोग अजय सहगल व रैनु गुप्ता की बनायी दुकानों पर ध्वस्तीकरण की काप्रवाही हो चुकी है। अतः श्री मान जी जगन्नाथपुरी कालोनी, वहादुर मोटर के पीछे ट्रांसपोर्ट नगर का मानचित्र देने की कृपा करें।

2. शहूल छावडा द्वारा पब्लिक पार्क के अन्दर बनायी गयी विल्डींग पर अब तक ध्वस्तीकरण की काप्रवाही कपो नही की गयी है।

आवेदक पत्र के साथ शुरुक के रूप में दस रुपये 53K-606735 संलग्न कर रहा हूँ।

आवेदक  
चन्द्र शेखर गुडा

दिनांक - 9-10-2024.

3, गली नं०-3  
ई पुरम, दिल्ली रोड

भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रमाणित  
OF "BANKER" BY THE CENTRAL GOVERNMENT

53K 606735

EL5300051818 IFR:658553900518

SP BUNAWA GATE SO 020002

Counter No:1, 09/10/2024, 13:51

POOJAN SURESH AD, OFFICE N.V.P.

PIN:230003, Meerut Kutchery SO

NPTA, SAHIBGANJ

मेरठ - 203003  
7599493003

# मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कर्मरम्भो न सिध्यति

115/प्रवर्तन सूचना नोंदणी-

दिनांक :- 17/10/2024

जनसूचना अधिकारी प्रवर्तन,  
मेरठ विकास प्राधिकरण,  
मेरठ।

सेवा में,

श्री चन्द्र शेखर गुप्ता,  
निवासी-103, गली नं0-3,  
साईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ।  
मो0नं0-7599653075

**विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक 482/जोन सी पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक 09.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है, जो निम्नवत् है:-

**बिन्दु सं0 01** मानचित्र अनुभाग से सम्बन्धित है।

**बिन्दु सं0 02** मागी गई सूचना जनसूचना अधिनियम-2005 के नियम 4(2) ख(4) के अन्तर्गत प्रश्नवाचक होने के कारण देय नहीं है।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है।

सचिव,  
मेरठ विकास प्राधिकरण,  
मेरठ।  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,

**प्रतिलिपि:-**

1. इंडियन बैंक प्रबंधक, मेरठ विकास प्राधिकरण को संलग्न नोट संख्या 53के 606785 रूपये 10/- को सम्बन्धित करीब में जमा कराने हेतु।
2. मानचित्र अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से आवेदक को बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध कराये।

मेरठ विकास प्राधिकरण  
17/10/2024

P-12  
Rewa

श्री मान जन सूचना अधिकारी  
नापालिय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ - 3050

श्री मान जी मैंने दिनांक 9-10-2024 को जन सूचना अधिकार के तहत मंगंतपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला के पीछे दिल्ली रोड, मेरठ के मानचित्र सरणों-146 दिनांक-2-5-1989 देने के लिए आवेदन किया था। 15 दिन बीतने के बाद भी मानचित्र सरणों - 146 दिनांक - 2-5-1989 नहीं दिया गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि तत्काल मानचित्र सरणों-146 दिनांक 2-5-1989 देने की कृपा करे प्रार्थी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में वापर वाद सरणों 1096/2024 में मंगंतपुरम कालोनी का मानचित्र सरणों 146 जमा कराए।

दिनांक - 25-10-2024

Cesump

प्रार्थी

चन्द्र शेखर गुप्ता

103 गली नं०-3

साईपुरम, दिल्ली रोड

मेरठ - 3050

M.No 754968



जन सुचना अधिकारी  
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ - 205005

श्री मात्र जी अभिषेक पाण्डे, उपाध्यक्ष-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30-9-2024 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में केस संख्या- 1096/2024 चन्द्र शेखर गुप्ता बनाम उ० प्र० सरकार में वर्चुअल सुनवाई के दौरान उपाध्यक्ष-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकारी दी गयी कि जगन्नाथपुरी कालोनी, वडादुर मोटर के पीछे, दिल्ली रोड, थाना ट्रांसपोर्ट नगर के अन्तर्गत, मेरठ का मानचित्र संख्या- 96 ए व जगन्नाथपुरी कालोनी, वडादुर मोटर के पीछे स्थित पार्क में कब्जा किये अजय सद्गल पुत्र स्व० नन्दकिशोर सद्गल व रेनु गुप्ता पत्नि शिव कुमार गुप्ता पर प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है। शहूल छावडा द्वारा पार्क में बनाये गये अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी बाकी है।

दिनांक 9-10-2024 को जन सुचना अधिकारी से जगन्नाथपुरी कालोनी, वडादुर मोटर के पीछे, ट्रांसपोर्ट नगर मानचित्र सं०-96 की जगह जगन्नाथपुरी एम्बेड्डेशन मानचित्र संख्या-97 में प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा दिखाया गया है। जगन्नाथपुरी कालोनी, वडादुर मोटर के पीछे, ट्रांसपोर्ट नगर से सम्बन्धित अधिकारी पार्क पर कब्जा किये अजय सद्गल, रेनु गुप्ता पत्नि शिव कुमार गुप्ता व शहूल छावडा से मिले हुए हैं और जानबुझकर साजिश के तहत जगन्नाथपुरी कालोनी, वडादुर मोटर के पीछे, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ का मानचित्र संख्या-96 नहीं दे रहे हैं। अतः आपसे पुनः दोबारा अपील की जाती है।

SRINIVAS RAO  
SP MADIR ALI CO SO 0250002  
Counter No.1, 14/11/2024, 10:52  
TCSAN SUCHA AHWARI, MEA  
PIN:205003, Meerut Kutchery SO  
Phone: 0522711, 103 GALI NO. 3  
10/11/2024, Amt. Paid: 13.00 (Cash)

चन्द्र शेखर गुप्ता  
103, गली नं० 3  
साईपुल, मेरठ - 205003  
Mobile: 7999999999

श्री. जगन्नाथपुरी कालोनी, वडादुर मोटर के पीछे, थाना ट्रांसपोर्ट नगर

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ-305000

आपके द्वारा दिनांक 30-9-2024 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल  
दिल्ली के कंस सरखौ = 1096/2024 चन्द्र शेरवर गुप्ता वनाम उ०प्र०सर  
के कार्यवाही सुनवाई के दौरान आपके द्वारा जानकारी दी गयी कि  
जगन्नाथपुरी कालोनी, वडादुर मोटर के पीछे, थाना ट्रांसपोर्ट नगर  
मेरठ-305000 का मानचित्र सरखौ-96 है व जगन्नाथपुरी कालोनी  
के पब्लिक पार्क पर कब्जा किये अजय सहगल पुत्र स्व० नन्दकिशोर  
सहगल और रेनु गुप्ता पति शिव कुमार गुप्ता द्वारा पब्लिक पार्क  
के अन्दर बनायी गयी कुम्हानी को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया जा  
युक्त है। शहूल छावडा द्वारा पब्लिक पार्क के अन्दर बनायी गयी  
विल्डींग पर आपवादी ध्वस्तीकरण की होती है।

उन्हे दिनांक 9-10-2024 को सूचना का अधिकार के तहत जगन्नाथपुरी  
कालोनी के मानचित्र सरखौ-96 देने व शहूल छावडा द्वारा पब्लिक  
पार्क के अन्दर बनायी गयी विल्डींग पर अब तक ध्वस्तीकरण की  
आपवादी क्यो नही स्री गयी है। की जानकारी मांगी थी।  
मुझे जगन्नाथपुरी कालोनी, मानचित्र सरखौ-96 की जगह पर  
जगन्नाथपुरी स्कंस्टेशन, मानचित्र सरखौ-97 दिखाया गया और बताया  
गया कि मानचित्र सरखौ-96 उपलब्ध नहीं है।  
शहूल छावडा द्वारा जगन्नाथपुरी कालोनी के पब्लिक पार्क के अन्दर बनायी  
गयी विल्डींग पर प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की आपवादी प्रश्नज्ञाचक  
होने के कारण देय नहीं है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि जगन्नाथपुरी कालोनी, वडादुर मोटर के पीछे  
थाना ट्रांसपोर्ट नगर, मानचित्र सरखौ-96 देने की कृपा करें और शहूल छावडा  
द्वारा जगन्नाथपुरी कालोनी के पब्लिक पार्क के अन्दर बनायी गयी विल्डींग पर  
प्राधिकरण द्वारा की गयी आपवादी की जानकारी दे पत्र के साथ प्राधिकरण को  
दिनांक 7-11-24 का पत्र व 17-10-24 के पत्र की आपापी दे साईं।  
प्राची  
चन्द्र शेरवर गुप्ता  
103, गली नं०-3, साईं कुमारी  
दिल्ली रोड, मेरठ-305000  
10-15-99 65 3078

श्री मान अभिलेख पाण्डे जी  
 उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ-30000

श्री मान जी आपके द्वारा दिनांक 30-9-2024 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में केस संख्या- 1096/2024 चन्द्र शेखर गुप्ता बनाम उ० प्र० सरकार में वर्युअल सुनवाई के दौरान जानकारी दी गयी। मंगंतपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला के पीछे दिल्ली रोड, मेरठ ब्लॉक-D के मानचित्र संख्या-146 के पब्लिक पार्क पर कब्जा नहीं है।

श्री मान जी मैंने दिनांक- 9-10-2024 जन सूचना अधिकार के तहत मंगंतपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला के पीछे, दिल्ली रोड, मेरठ के मानचित्र संख्या- 146 दिनांक 2-5-1989 देने के लिए आवेदन किया था। जन सूचना अधिकारी/ प्रभारी मानचित्र - मनोज तिवारी द्वारा मानचित्र सं० 146 की मुल प्रति की फोटो कापी को इतना छोटा करा दिया कि इस फोटो कापी में कुछ भी दिखायी न दे पड फोटो कापी मुझे दिखायी गयी। मनोज तिवारी - प्रभारी मानचित्र पुरी तरह से पार्क पर कब्जा किये व्यक्ति अभित वन्सल उर्फ वोबी से मिले हुए हैं। शुशकिस्मती से मानचित्र संख्या-146 की कापी मेरे पास भी है।

श्री मान जी मंगंतपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला के पीछे, ब्लॉक-D के पब्लिक पार्क का साइज 75 फीट x 110 फीट है। पब्लिक पार्क के चारो तरफ 24 फीट चौड़ी सडक है। पब्लिक पार्क व पब्लिक पार्क के चारो तरफ की सडक पर कब्जा करके अभित वन्सल उर्फ वोबी द्वारा अवैध निर्माण करा दिया गया है।

आपसे प्रार्थना है कि तत्काल मंगंतपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला के पीछे ब्लॉक-D के पब्लिक पार्क व पार्क के चारो तरफ की सडक पर कब्जे अवैध निर्माण को ध्वस्त करे ओर प्राचीन ट्रिब्यूनल में ध्वस्तकरण की पुरी जानकारी दें। पत्र के साथ दिनांक प्राचीन

5-11-24 को मेरठ विकास प्राधिकरण का पत्र  
 2024 को भेजा

चन्द्र शेखर गुप्ता

103, गली नं० 3

शाईपुरम, दिल्ली रोड

मेरठ-30000

N. No. 759465/2024

EL39279916804 INR:6928322771  
 SP MADIR ALI CO SO 420000  
 Counter No:1, 05/12/2024, 11:05  
 TOSHIBA-EX PANDY, UPADHAKAR  
 PIN:200003, Merat Hatcherly SO  
 C.S. MITA, 103 G.LI CO. 3